# <u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : **<u>आशीष श्रीवास्तव</u>**
**सदस्य**

अपील प्रकरण क्रमांक 1458–दो/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–5–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा अपील प्रकरण क्रमांक 66/अपील/08.09.

................

बैजनाथ साहू पिता स्व0 चैता तेली
निवासी दुलहरा, तहसील सिरमौर
जिला रीवा म0 प्र0

– अपीलार्थी

<u>विरूद्ध</u>

1 शिवदयाल पिता स्व0 चैता तेली
निवासी ग्राम उमरी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0 प्र0
2 रामदयाल पिता स्व0 चैता तेली
निवासी ग्राम पैपखार, तहसील सिरमौर,
जिला सीधी म0 प्र0 – प्रत्यर्थीगण

................

श्री अरविन्द कुमार मिश्रा अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री रजनीश मिश्रा, अभिभाषक, प्रत्यर्थी क्रमांक 1

....................

## :: आ दे श ::

( आज दिनांक 24–11–2015 को पारित )

यह अपील प्रकरण क्रमांक 1458–दो/2011 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक 66/अपील/08–09 में पारित आदेश दिनांक 7–5–2011 के विरूद्ध दायर हुआ है ।

2/ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । अपील मेमो के अनुसार दिनांक 6–12–10 को अपर आयुक्त न्यायालय में पहले दिनांक 16–8–11 की अगली पेशी अपीलांट के अभिभाषक को नोट कराई गई थी, जिसे बाद में उनकी पीठ पीछे बदल कर 9–2–11 कर दिया गया, जिसके बाद पेशी दिनांक 20–4–11 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर, दिनांक 30–4–11 को प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया और उसमें दिनांक 7–5–11 को आदेश पारित कर दिया गया । इस आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 16–8–11, जो पहले पेशी हेतु तय दिनांक थी, को न्यायालय में अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होने पर मिली, जिसके बाद उनके द्वारा यथाशीघ्र आदेश की नकल प्राप्त कर दिनांक 30–8–11 को राजस्व मण्डल के समक्ष यह अपील प्रस्तुत कर दी गई ।

अपील मेमों में यह भी लिखा है कि वाद भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट को दिनांक 5–2–05 को बंटवारे में प्राप्त हुई थी, जिसका नामांतरण उनके हित में ग्राम पंचायत दुलहरा की नामांतरण पंजी क्रमांक 35 के आदेश दिनांक 18–4–06 द्वारा हुआ । (नामांतरण पंजी में इस आदेश की दिनांक 11–3–06 लिखी है) । इसके विरूद्ध रेस्पोडेंटगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलंब से अपील की, जिस प्रकरण क्रमांक 53/अ–6/2006–07 में अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30–4–2007 से विलंब माफ किया, जो अपील मेमो में लिखे अनुसार गलत था। इसके विरूद्ध अपर कलेक्टर, रीवा के समक्ष प्रकरण क्रमांक 433/अ–6/06–07 दायर हुआ, जिसमें दिनांक 30–7–08 को पारित आदेश से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया, जो अपील ममो में लिखे अनुसार एक सही निर्णय था । इसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा आक्षेपित आदेश से अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह प्रकरण दायर हुआ है ।

इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष नामांतरण पंजी पर प्रति अपीलार्थी के फर्जी हस्ताक्षर कराकर, अपीलार्थी के पक्ष में उसके अधिकार से अधिक एवं बंटवारा विलेख से भिन्न सर्वे नम्बरान की भूमि नामान्तरित किए जाने के बिन्दु भी उठे, जिन पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा स्पष्ट एवं बोलते हुए निष्कर्ष अभी तक नहीं निकाले गए है ।

3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क सुने गए है, जिनमें उनके द्वारा ऊपर लिखे बिन्दुओं को कहा गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों एवं प्रकरण के अभिलेखों के परिशीलन के आधार पर मैं प्रकरण में निम्न बिन्दु प्रमुखता से टीप योग्य पाता हूँ :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके न्यायालय के प्रथम अपील में दिनांक 30–4–2007 को अन्तरिम आदेश पारित कर विलम्ब माफ किया गया था, जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर को द्वितीय अपील ना कर, निगरानी प्रस्तुत की गई थी । अपर कलेक्टर द्वारा अपने पुनर्विलोकन आदेश दिनांक 30–7–08 में/केवल अनुविभागीय अधिकारी के धारा 5 संबंधी निर्णय पर अपना निर्णय दिया गया है, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त एवं यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल के समक्ष आई है । अतः, इन दोनों अपीलों के संदर्भ में 'मूल' विचारणीय बिन्दु केवल अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 के विषय में किया गया विनिश्चय बनता है।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 पर दिये गए विनिश्चय पर विचार करते समय इस बात को देखना अतार्किक नहीं होगा कि क्या प्रकरण के गुणदोष का स्वरूप ऐसा था जिसके प्रकाश में विलंब को माफ किया जा सकता था, भले ही विलम्ब के कारण कुछ भी रहे हों।

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रथम दृष्टया गुणदोष इस प्रकार के प्रतीत होते हैं, जिन पर अनुविभागीय अधिकारी को अपील में विचार कर न्यायपूर्ण निर्णय पारित करना चाहिए था । ऐसा इसलिए, क्योंकि बैजनाथ शिवदयाल एवं रामदयाल भाई हैं, जिनका प्रथम दृष्टया पैतृक सम्पत्ती में हिस्सा 1/3–1/3–1/3 होना स्वाभाविक लगता है । यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके पीछे के कारण एवं घटनाक्रम अनुविभागीय अधिकारी को अपने न्यायालय की अपील में न्यायहित में देखने चाहिये थे, जो देखने के पूर्व उन्हें विलंब को माफ करना जरूरी था । प्रकरण से संबंधित नामांतरण पंजी कमांक 35 की दिनांक 11–3–06 की प्रविष्टियों में काटपीट एवं पुनर्लेखन है । इसके अतिरिक्त बंटवारा दिनांक 5–2–05 में बैजनाथ को सर्वे नंबर 1256/1ख में से 0.093 हैक्टेयर एवं 1542/2 से 0.102 हैक्टेयर दिया जाने का उल्लेख है, जबकि

नामांतरण पंजी दिनांक 11–3–06 के अनुसार बैजनाथ को 1256/1ख का पूरा रकबा 0.186 हैक्टेयर दिया गया है, और 1542/2 का 0.102 हैक्टेयर पहले दिया जाना (नामांतरण पंजी में) लिखा गया है और फिर उसे काट दिया गया है । बंटवारे के अनुसार सर्वे नंबर 831, 1256/1ख, 824/1, 801 तथा 1542/2 के कुल रकबे 0.741 हैक्टेयर में से 0.438 हैक्टेयर बैजनाथ का, 0.198 हैक्टेयर शिवदयाल का एवं 0.105 हैक्टेयर रामदयाल का बनता है । अभिलेखों के अनुसार सर्वे नंबर 834 का 0.113 हैक्टेयर रकबा वर्ष 2001 में शिवदयाल एवं रामदयाल द्वारा बैजनाथ को बेचा गया है । अन्य किसी पैतृक भूमि के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों से जानकारी नहीं मिल रही है । इन सब सर्वे नम्बरों के रकबों को जोड़ लिया जाए तो सर्वे नंबर 831, 1256/1ख, 824/1, 801, 1542/2 एवं 834 की पैतृक संपत्ती के कुल रकबे में से 0.438 हैक्टेयर बैजनाथ को और 0.416 हैक्टेयर शिवदयाल एवं रामदयाल को मिलकर शुरू में (आपसी क्रय विक्रय के पूर्व) प्राप्त हो रहा होना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है, जो 1/3–1/3–1/3 ना होकर असमान विभाजन ही लगता है । अनुविभागीय अधिकारी को इस बात का अपने न्यायालय की अपील में परीक्षण करने के लिए न्यायहित में विलंब माफ करना जरूरी था, जो उन्होंने किया ।

5/ इस आदेश के पूर्ववर्ती पैरा 2 के प्रारंभ में लिखे कारणों की अभिलेखों से पुष्टि होने के कारण मैं इस राजस्व मण्डल न्यायालय में अपील प्रस्तुतिकरण में हुए विलंब को माफ करता हूँ ।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मेरा यह मानना है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यापक न्यायहित में उनके न्यायालय के अपील प्रकरण में विलंब को माफ करना चाहिए थे, ताकि वे प्रकरण के गुणदोषों (जो कि इस आदेश के पूर्ववर्ती पैरा 4 (2) में लिखे कारणों से महत्वपूर्ण हैं) पर विचार कर पक्षकारों के मध्य न्याय कर सकें, जो उन्होंने किया ।

इस आदेश के पैरा–2 के प्रारंभ में लिखे बिन्दु अपर आयुक्त के न्यायालय के अभिलेख से पुष्ट होते हैं, अर्थात् उनके न्यायालय में पेशी दिनांक बदली गई, जिससे न्यायिक प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । भविष्य में उनके न्यायालय में ऐसी गतिविधि की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए अपर आयुक्त को एतद्द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है । हालांकि, अपर आयुक्त द्वारा उनके आदेश दिनांक 7–5–11 में निकाला गया निष्कर्ष जिसके द्वारा उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के निर्णय को सही पाया है, ऊपर किए गए विश्लेषण के प्रकाश में सही प्रतीत होता है । अतः मैं

यह अपील अस्वीकार करता हूँ, एवं अपर आयुक्त का यह आदेश यथावत् रखता हूँ। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस हो। प्रकरण दा.रि.हो।

**(आशीष श्रीवास्तव)**
**सदस्य**
**राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश**
**ग्वालियर**